केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

Central Sericultural Research & Training Institute

[आई एस ओ 9001 : 2008 प्रमाणित/**ISO 9001 : 2008 Certified**]

[केंद्रीय रेशम बोर्ड -
वस्त्र मंत्रालय - भारत सरकार]
मानंदवाडी रोड, श्रीरामपुरा,
मैसूर - **570008.**

[Central Silk Board -
Min. of Textiles - Govt. of India]
Manandavadi Road, Srirampura,
MYSORE – 570 008.

http: *www.csrtimys.res.in*

सं. केंरेबो/अप्रसं/3.3/2019/654-681 दि. 15.06.2019

सेवा में

सभी अधीनस्थ कार्यालय, केंरेबो, मैसूरु
केंरेअप्रसं

विषय :-धारा 3(3) का अनुपालन करने तथा राजभाषा से संबंधित जाँच बिन्दुओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में ।

Sub:- Compliance of section 3(3) and effective implementation of check-points on official Language – reg.

महोदय/ महोदया, Sir/Madam.

कृपया केन्द्रीय कार्यालय से प्राप्त राजभाषा से संबंधित जाँच बिन्दुओं का विवरण प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इसके साथ संलग्न पाएँ ।

Please find enclosed herewith the details of check-points received from central office for effective implementation of official language.

इस संबंध में केंरेअप्रसं, मैसूरु के संबद्ध कार्यालयों / अनुभागों के प्रभारी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे संलग्न पत्र में वर्णित जाँच बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

In this context, all incharges / Sectional Heads of attached offices / Sections of CSR&TI, Mysuru are requested to implement the check points as mentioned in the letter for effective implementation of official language.

भवदीय / Yours faithfully.

निदेशक / DIRECTOR

संलग्न :- यथोपरि
Encl : As above

केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआऊट, मडिवाला
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala
बेंगलूरु Bengaluru- 560068

सं.केरेबो--3(2)/2012-13-हिन्दी

दिनांक : 25.04.2019

परिपत्र CIRCULAR

विषय : राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन के संबंध में।
Sub : Compliance of Section 3(3) of Official Language Act, 1963 – reg.

*****

बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 130वीं बैठक के दौरान राजभाषा की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते समय सदस्य सचिव ने धारा 3(3) के अंतर्गत जारी दस्तावेजों की संख्या का अवलोकन किया और सुझाव दिया कि इस अधिनियम के अंतर्गत मात्र उन्हीं दस्तावेजों की गणना की जानी चाहिए जो इसके अंतर्गत आते हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेज आते हैं जिनको दोनों भाषाओं, हिन्दी व अंग्रेजी में जारी करने की आवश्यकता है:

While reviewing Quarterly Progress Report on Official Language during 130th meeting of OLIC of the Board, Member Secretary observed the number of documents issued under Section 3(3) and suggested to quantify only those documents which are covered under this Act. Following documents come under Section 3(3) of O.L. Act, 1963 which need to be issued in Hindi and English, both the languages.

(A) सामान्य आदेश General Order:

1. सभी आदेश, निर्णय या अनुदेश, जो विभागीय प्रयोजन हेतु निर्दिष्ट हैं और जो स्थायी प्रकृति के हैं;
   All orders, decisions or instructions intended for departmental use and which are of standing nature;
2. सभी आदेश, अनुदेश, पत्र, ज्ञापन, नोटिस आदि जो सरकारी कर्मचारियों के समूह या समूहों के संबंध में हों या उनके लिए हों;
   All such orders, instructions, Letters, Memoranda, Notices etc. related to or intended for group or groups of Government employees.
3. सभी परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों या सरकारी कर्मचारियों के लिए हों।
   All Circulars whether intended for departmental use or for Government employees.

(B) अधिसूचना Notifications

(C) प्रेस विज्ञप्तियाँ Press Communiqués/Releases

(D) संविदाएं Contracts

(E) करार Agreements

(F) लाइसेंस Licenses

(G) परमिट Permits

...2

(H) टेंडर के नोटिस और फॉर्म Notice and forms of tenders

(1) विक्रय/क्रय से संबंधित Pertaining to sale/Purchase

(2) सिविल/अन्य कार्यों से संबंधित Pertaining to Civil/other work

(I) संकल्प Resolutions

(J) नियम Rules

(K) संसद के एक सदन में या दोनों सदनों में प्रस्तुत सरकारी कागज-पत्र (रिपोर्टों के अलावा) Official papers laid before a House or both the Houses of parliament (other than Reports)

(L) संसद के एक सदन या दोनों सदनों में प्रस्तुत प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट
Administrative and other Reports laid before a House or both the Houses of Parliament.

(M) प्रशासनिक या अन्य रिपोर्टें जो अपने से उच्चतर कार्यालयों को भेजी गयी।
Administrative or other Reports sent to higher offices.

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत कार्यरत सभी संस्थानों/कार्यालयों से अनुरोध है कि वे धारा 3(3) का अनिवार्य रूप से अनुपालन करें और तिमाही प्रगति रिपोर्ट या ऐसी अन्य प्रश्नावलियों में आंकड़ों को भरते समय धारा 3(3) के अंतर्गत उपर्युक्त दस्तावेजों को ही इस शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाए।

All the Institutes/Offices functioning under Central Silk Board are requested to adhere the Compliance of Section 3(3) invariably and only above documents may be counted under Section 3(3) while furnishing the data in quarterly Progress Report or such other questionnaire.

25/04/2019

(आर.डी.शुक्ल R.D.Shukla)
उप निदेशक Dy. Director (रा.भा.O.L.)

सेवा में To,
सभी संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालय, केरेबो
All Attached/Sub-ordinate Offices, CSB

निदेशक Director,
केन्द्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान CSR&TI,
केन्द्रीय रेशम बोर्ड Central Silk Board,
मैसूरु Mysore- 570 008

केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआऊट, मडिवाला
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala
बेंगलूरु Bengaluru- 560068

सं.केरेबो--3(2)/2012-13-हिन्दी

दिनांक : 25.04.2019

परिपत्र CIRCULAR

विषय : राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अंतर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड और इसके संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालय में बनाए गए जाँच बिन्दुओं को प्रभावी बनाया जाना।

Sub : Making Check- Points effective in Central Silk Board and its Attached & Sub-ordinate Offices under Rule 12 of Official Language Rules, 1976.

*****

दिनांक 27.03.2019 को आयोजित इस कार्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 130वीं बैठक में सदस्य सचिव महोदय ने सुझाव दिया कि राजभाषा कार्यान्वयन में गति लाने के लिए आवश्यक है कि जाँच बिन्दुओं को प्रभावी एवं कारगर बनाया जाए। अतः उन्होंने हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को निम्न बिन्दुओं को सुनिश्चित करने की अपेक्षा व्यक्त की है:

During 130th meeting of Official Language Implementation Committee of the Board held on 27.03.2019 Member Secretary suggested that check points should be made effective and useful in view of accelerating Official Language Implementation. Hence he expected to ensure the following points by the signing officer:

1. जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से कोई पत्रादि जारी होता है, स्वयं उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि यदि पत्रादि हिन्दी में प्राप्त हुआ है, तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए।
   Signing officer of the letters, issued, will be held responsible to ensure that the letters received in Hindi are replied in Hindi only.

2. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी दस्तावेज हिन्दी तथा अँग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी होने चाहिए, साथ ही, जो अनुभाग इन दस्तावेजों के प्रेषण का काम करता है, वह भी यह सुनिश्चित करे कि इस प्रकार के दस्तावेज साथ-साथ हिन्दी में जारी हो रहे हैं ।
   All the documents mentioned in Section 3(3) of Official Language Act, 1963 should be issued in both the languages i.e. Hindi and English and the Section Dispatching these documents should also ensure that such documents are issued in Hindi as well.

अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
It is requested to ensure compliance of the above points.

(आर.डी.शुक्ल R.D.Shukla)
उप निदेशक Dy. Director (रा.भा.O.L.)

सेवा में To,
सभी संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालय, केरेबो
All Attached/Sub-ordinate Offices, CSB